कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, हाथरस

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय हाथरस मुख्यालय परिसर, वाह्य न्यायालय सादाबाद एवं सिकन्द्राराऊ में नवनिर्मित 05 सीटर टॉयलेट काम्प्लेक्स की नियमित साफ–सफाई व्यवस्था हेतु एजेन्सी के माध्यम से आउट सोर्सिंग पर कार्य कराये जाने हेतु कर्मियों की आवश्यकता है–

कार्य का विवरण	कर्मियों की आवश्यकता	निविदा मूल्य एवं 12 प्रतिशत जी.एस.टी.
जनपद न्यायालय, हाथरस एवं वाह्य न्यायालय सादाबाद व सिकन्द्राराऊ में नवनिर्मित 05 सीटर टॉयलेट कॉम्प्लेक्स हेतु सफाई कर्मी की आवश्यकता।	03	560/–

शर्ते–

1. केवल वहीं संस्थाएं जो राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत सूचीबद्ध है, इस उद्देश्य के लिये वैध होगी।
2. आवश्यकतानुसार कर्मी घटाये–बढ़ाये जा सकते हैं।
3. कार्यदायी संस्था का E.P.F. तथा लेवर कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा, प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. कार्यदायी संस्था को चालू वित्तीय वर्ष मे 50 सफाई का कार्य करने वाले कर्मचारियों का E.P.F. जमा करने की प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करान अनिवार्य है।
5. कार्यदायी संस्था किसी विभाग/निकाय में ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, फर्म का किसी भी न्यायालय में ब्लैक लिस्टेड से सम्बन्धित वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं होना चाहिए। फर्म को इस आशय का 10/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथपत्र देना अनिवार्य है।
6. जनपद न्यायालय कार्यदायी संस्था को किसी भी प्रकार का साफ–सफाई का सामान (मशीन/उपकरण इत्यादि) उपलब्ध नहीं करायेगा। ये सभी कार्यदायी संस्था द्वारा ही उपलब्ध कराये जायगें और इन सभी सामानों का कोई अतिरिक्त भुगतान एजेन्सी को नहीं किया जाएगा।
7. कार्यदायी संस्था किसी ख्यातिलब्ध कम्पनी का सामान प्रयोग करेगी जैसे कैमिकल, सर्फ, साबुन लिक्विड, तेजाब, कूड़े के थैले आदि तथा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराये जायेंगे।
8. साफ–सफाई का कार्य सुबह 8:30 बजे तक पूर्ण कर लिया जायेगा। ऐसा नहीं होने पर कार्यदायी संस्था से 50/– रू0 प्रतिदिन तक वसूले जायेगें। साफाई कर्मी एजेंसी द्वारा निर्धारित वेश–भूषा में ही रहेंगे।
9. कार्यदायी संस्था द्वारा लगाये गये कर्मचारीगण द्वारा यदि न्यायालय की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसे गम्भीरता से लिया जायेगा और एजेंसी की दण्डित किया जायेगा।
10. दिन–प्रतिदिन कूड़ा–करकट को डस्टबिन में डाला जायेगा जो न्यायालय परिसर के बाहर इसी उद्देश्य से लगाया जायेगा।
11. शौचालय, पेशाबघर व फर्श पर लगी मारबल, टाईल्स एवं टोटियों इत्यादि को प्रतिदिन साफ किया जाएगा।
12. कार्यदायी संस्था साफ–सफाई के उपकरणों आदि को सुरक्षित रखने के लिए स्वयं उत्तरदायी होगी।
13. कार्यदायी संस्था अपने कर्मचारियों के लिए कार्य के स्थान पर प्राथमिक उपचार बॉक्स की व्यवस्था करेगी।
14. निविदा स्वीकृति व अनुमोदित होने के उपरान्त भी किसी भी समय वैधानिक शर्तों के विपरीत कार्य पाये जाने पर माननीय जनपद न्यायाधीश, हाथरस को बिना नोटिस दिये निविदा निरस्त करने का विवेकाधिकार सुरक्षित रहेगा।

अतः इच्छुक एजेंसी/फर्म सफाई कार्य करने हेतु निविदा विज्ञप्ति दिनांक 19.12.2019 को दोपहर बारह बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त निविदाएं दिनांक 19.12.2019 को सायं 04:00 बजे खोली जायेंगीं। प्रत्येक निविदा के साथ अंकेन 1000/– रूपये की डी0डी0 जोकि जनपद न्यायाधीश, हाथरस के नाम से धरोहर राशि के रूप में बंधक रहेगी। यह धनराशि बोली समाप्ति के एक माह के अन्दर बोलीकर्ता को लौटा दी जाएेगी।

जनपद न्यायाधीश, १९/१२/१९

हाथरस।

Scanned by CamScanner